आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त, पाकुड़

R.M.P.No.-14/05-06

16 आना रैयत मौजा–जादूपुर एवं अन्य

–बनाम–

मिरकू किस्कू

आदेश

10.06.2011

यह अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के पी.डी. वाद संख्या– 08/2003–04 में दिनांक–21.10.2005 को पारित आदेश की सम्पुष्टि हेतु प्राप्त है जिसमें मौजा–जादूपुर के ग्राम प्रधान को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गयी है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ ने अपने आदेश में यह लिखा है कि कार्यरत् प्रधान मिरकू किस्कू को ग्राम प्रधान के दर्जा से हटाने के लिए विधिवत् सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान 16 आना रैयतों ने बताया कि मिरकू किस्कू को प्रधानी पट्टा पर नियुक्ति उनके पिता के उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त किया गया था। नियुक्ति के बाद श्रीमती किस्कू ने ससुराल से सम्पर्क विच्छेद करते हुए श्री राजा हाँसदा के साथ शादी रचा ली। राजा हाँसदा की मृत्यु हो गयी तो एक दूसरे ग्राम के सोम मुरमू के घर रहने लगी। रैयतों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा निर्धारित लगान से अधिक वसूली की जाती है और गाँव के रक्षा हेतु कोई कदम नहीं उठाया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया ह कि प्रधान अपने प्रधानी कत्तव्यों के पालन में असमर्थ हैं। ग्राम प्रधान गाँव का अभिभावक होता है, जिसका मुख्य दायित्व गाँव का सर्वांगीण विकास करना होता है। श्रीमती मिरकू किस्कू 16 आना रैयतों के विश्वास खो चुके हैं और ग्राम प्रधान के पद पर रहने लायक नहीं हैं। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा इस आधार पर वर्त्तमान ग्राम प्रधान मिरकू किस्कू को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गयी है। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा एक अपीलवाद भी दायर किया गया ह जो R.M.A. वाद सं014/2005–06 है, जिसे इस वाद के साथ सम्मिलित किया गया है।

अपीलकर्त्ता श्रीमती मिरकू किस्कू की ओर से लिखित बहस समर्पित किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि उन्हें उत्तराधिकार के तौर पर प्रधान बनाया गया था और छोटी–मोटी आरोपों के कारण उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता। अपीलकर्त्ता की ओर से यह दावा किया गया है कि उनके द्वारा प्रधानी कबुलियत में निर्धारित शर्त्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई आरोप प्रमाणित हुआ है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के जाँच प्रतिवेदन के बिन्दु पर अपीलकर्त्ता की ओर से कहा गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं कोई जाँच नहीं किया था बल्कि राजस्व कर्मचारी को जाँच में भेजा था जिसमें कोई विपरीत पक्ष का व्यान नहीं लिया गया है। यह भी दावा किया गया है कि उनके विरूद्ध जो आरोप पत्र समर्पित हुआ है उसमें हस्ताक्षरित सभी महिलाएँ हैं जो जमाबंदी रैयत नहीं हैं। बहस में यह भी कहा गया है कि जो आपत्ति/आरोप पत्र है उसका नाम प्रतिवादी संख्या–01–02 अथवा उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपने जवाब में श्रीमती किस्कू ने यह कहा है कि प्रतिवादी संख्या– 04, 06, 07 द्वारा दिनांक–29.12.2007 को समर्पित पत्र द्वारा कहा गया है कि उसमें यह अंकित किया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष दायर

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अभ्यावेदन निहित दायित्वों की जानकारी उन्हें नहीं थी। यह दावा किया गया है कि मौजा–जादूपुर के अधिकांश रैयत श्रीमती किस्कू को प्रधान पद से नहीं हटाना चाहते हैं। उनका कहना था कि द्वितीय एवं तृतीय शादी की बात गलत है तथा उनके द्वारा कभी–भी निर्धारित दर से अधिक राजस्व की वसूली नहीं की गयी है। इस प्रकार उक्त के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के दिनांक–21.10.2005 के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

आर.एम.पी. वाद संख्या–14 / 2005 में प्रतिवादीगण 16 आना रैयत हैं जिनकी ओर से लिखित बहस दायर किया गया है। इस बहस में यह कहा गया है कि श्रीमती किस्कू ने राजा हाँसदा के साथ दोबारा शादी कर लिया और पूर्व पति बैजून मुरमु के साथ सम्बन्ध विच्छेद कर ली। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रधान जैसे जिम्मेवार पद पर रहते हुए श्रीमती किस्कू काफी बदनाम हो चुकी है और लगभग सामाजिक बहिष्कार हो रही है।

रैयतों के द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा निर्धारित दर से अधिक लगान वसूल की गयी थी। अतः वे प्रधान के पद पर रहने लायक नहीं हैं।

वर्त्तमान अपील आर. एम. पी. वाद संख्या–14 / 2005–06 द्वारा निम्न न्यायालय के पी.डी. वाद संख्या–08 / 2003–04 के अभिलेखों एवं सभी दस्तावेज तथा लिखित बहस के आलोक में यह स्थिति है कि वर्त्तमान प्रधान श्रीमती किस्कू ने दोबारा शादी की है, लेकिन निर्धारित दर से अधिक लगान की वसूली का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के परिशिष्ठ–V में प्रधान के बर्खास्ती के पाँच आधार दिये गये हैं, उन पाँचो में दोबारा शादी के बिन्दु का जिक्र नहीं है, लेकिन निर्धारित राजस्व लगान से अधिक दर पर लगान वसूली करने के लिए बर्खास्तगी का प्रावधान है। वर्त्तमान मामले में निम्न न्यायालय का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो यह प्रमाणित करे कि वर्त्तमान प्रधान ने निर्धारित दर से अधिक लगान की वसूली की है। ऐसी स्थिति में वर्त्तमान वाद को स्वीकृत करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी के अनुशंसा को अस्वीकृत किया जाता है।

उ पा यु क्त,
पाकुड़

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.16 16:35:06 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:c68:400a:3557:abe1

Scanned with CamScanner